न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 20/2025

बउनवान

जिला रसद अधिकारी, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

श्री जीतपाल सिंह (पॉश कोड–28640), उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत जैपला, तहसील–छबड़ा, जिला–बारां (राज.) (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)
2. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली एड. (अप्रार्थी)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज॰)

आदेश दिनांक– 12.12.2025

1– प्रार्थी की ओर से जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितता कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर कार्यालय के पत्रांक 3266–72 दिनांक 07.11.2024 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू NFSA 35959.4 किग्रा. का गबन करने एवं अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर खण्ड 8 क व 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर कार्यालय के आदेश क्रमांक 1939–48 दिनांक 26.04.2025 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 21/2012 को निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। तथा उक्त उचित मूल्य दुकानदार से 35959.4 किग्रा गेंहू की राशि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.2020 अनुसार भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27/– रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 970904/– रूपये की वसूली की जानी है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र I प्रस्तुत करने पर दिनांक 01.08.2025 को प्रपत्र–2 धारा–4 के तहत जारी किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमांग वसूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3– अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि प्रार्थी ने पी०डी०आर० एक्ट के अधीन प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी को आवंटित राशन सामग्री गेहूँ NFSA 35959.4 किलो ग्राम (359 किंव० 59 किलो० 400 ग्राम) की राशि खाद्य एवं नागरिक आपुत्ति विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 24.02.2020 के अनुसार एफ०सी०आई० की इकोनिमक लागत एवं वि[illegible] खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27/– रूपये प्रति किलो की दर से गेहूँ के पेटे 970[illegible] रूपये वसूली हेतु प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 11:13:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी बकायादार को प्रपत्र 3 राज०पी०डी०आर० एक्ट 1952 की धारा 6 ए (क) के अधीन जारी नोटिस एवं प्रमाण पत्र धारा 4 (सर्टिफिकेट) कानून व तथ्यो के विपरित होने से अस्वीकार है क्योकि प्रार्थी ने यह नहीं बताया कि रसद विभाग की ओर से अप्रार्थी का बकाया गेहूँ या राशि की वसूली आवश्यक वस्तु अधिनियम या राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण नियम 1976 के तहत बकाया राशि वसूली नहीं की जा सकती है तथा तत्समय लागू किसी कानून से यह रिकवरी वाद द्वारा वसूली योग्य नहीं है अर्थात वसूली राशि या गेहूँ की बकाया स्थिति रसद विभाग द्वारा दिनाक 17.10.2024 की निरीक्षण भौतिक सत्यापन सूचना प्रपत्र मे गेहूँ NFSA पोस मशीन में दर्ज 39959.4 किवं० वक्त निरीक्षण उपलब्ध स्टॉक मात्रा 3850 किंव० (77 कटटे) अन्तर 32109.4 किलो ग्राम बताया मात्रा में अन्तर का कारण पोस कोड 8582 का गलत स्टॉक पोस मशीन कोड 28640मे चढाया गया बताया है पोष मशीन 8582 धारक ने व स्टॉक 457 क्विं. बताया 266 किंव. मात्र बांटना बताया–191 किवं माल बचा, आगे माल एलोट नहीं हुआ। इसमे से 70 किंव० गेहूं बांटना बताया शेष स्टॉक पोस मशीन 8582 मे 121 किंव० बताया। बाद में अप्रार्थी ने पोस मशीन 28640 मशीन खराब होने पर पोस मशीन नं० 14015 चलायी थी जिससे 70 किवं० गेहूं बांटा था अर्थात प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही प्रार्थी ने स्वयं के बिना किसी जांच या मनगढन्त तथ्यों पर ऑडिट करवायी एवं 24.02.2020 को रसद विभाग जयपुर ने डिमाण्ड हेतु निर्देशित किया तो दिनांक 17.10.2024 को भौतिक सत्यापन कराया, परन्तु डिमाण्ड राशि में न तो कमी की एवं न ही वास्तविक अवशेष गेहूँ की मात्रा का पता लगाया और अप्रार्थी को नोटिस जारी कर दिया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही को निरस्त किया जाकर पुनः जांच हेतु प्रार्थी को लोटाया जाना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करना विधि संगत एवं न्यायहित मे होगा। अतः निवेदन है कि कार्यवाही को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

4– जवाब पेश होने पर हमने बहस उभयपक्ष सुनी।

5– दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू NFSA 35959.4 किग्रा. का गबन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 21/2012 निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। अप्रार्थी से गेंहू NFSA 35959.4 किग्रा. की राशि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 24.02.2020 अनुसार भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27/– रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 970904/–रू. वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

6– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही प्रार्थी ने स्वयं बिना किसी जांच या ऑडिट के मनगढन्त तथ्यों पर दिनांक 24.02.2020 को रसद विभाग जयपुर द्वारा डिमाण्ड हेतु निर्देशित किया जाने पर दिनांक 17.10.2024 को भौतिक सत्यापन कराना अंकित किया, परन्तु डिमाण्ड राशि में न तो कमी की एवं न ही वास्तविक अवशेष गेहूँ की मात्रा का पता लगाया और अप्रार्थी को नोटिस जारी कर दिया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही को निरस्त किया जाकर पुनः जांच हेतु प्रार्थी को लोटाया जाना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करना विधि संगत एवं न्यायहित मे होगा। अतः निवेदन है कि कार्यवाही को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 11:13:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारॉं (राज०)

7– हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया कि अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 21/2012 निरस्त किया गया। तथा गेंहू की मात्रा के आधार पर भारतीय खाद्य निगम की इकॉनोमिक लागत एवं विभागीय खर्चों के आधार पर निर्धारित दर 27/– रू. प्रति किलो की दर से गेंहू के पेटे 970904/–रू. वसूली योग्य निकाली गई है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

8– अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री रामस्वरूप सहरिया (पॉश कोड–28640), उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत जैपला, तहसील–छबड़ा, जिला–बारां (राज.) से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 970904/–रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा–4 जिला रसद अधिकारी, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 12.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बाराँ (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 11:13:22 IST
Reason: SelfAttested